बिहार सरकार
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
विश्वेश्वरैया भवन परिसर, बेली रोड, पटना–800015

पत्रांक: पी0एच0/बि.ज.स्व.मि.–104/09–331 दिनांक: 14-10-2009

प्रेषक: एच. सी. सिरोही
प्रधान सचिव–सह–अध्यक्ष
कार्यकारी समिति,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना।

सेवा में,
सभी उप विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति।
सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति।

विषय: सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान–लोहिया स्वच्छता योजना अन्तर्गत वैयक्तिक शौचालय के निर्माण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान–लोहिया स्वच्छता योजना अन्तर्गत 2500रू. लागत के वैयक्तिक शौचालय का निर्माण ऊपरी संरचना (super structure) किया जाना है। बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कम से कम एक मीटर ऊँची ईंट की दीवार तथा उसके ऊपर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निर्माण सामग्रियों से शेष कार्य के साथ शौचालय निर्माण से संबंधित एक मानक प्राक्कलन आपकी सुविधा हेतु भी आपको भेजा गया है।

जिलों से प्राप्त शौचालय निर्माण के फोटोग्राफ से यें स्पष्ट है कि अधिकांश जगहों पर एक मीटर दीवार जोड़ने के उपरान्त ही शौचालय लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से निर्मित शौचालयों को पूर्ण नही माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना प्राप्त हुयी है कि निर्माण सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि होने तथा लाभार्थियों द्वारा उनका अंशदान नहीं लगाने के कारण उन्हें केवल कुछ उचाँई तक दीवार जोड़कर ही शौचालय को लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है, परन्तु लाभार्थियों द्वारा ऊपरी ढांचे के शेष कार्य को पूरा नहीं किया जाता है, जिसके कारण शौचालय का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है।

निदेश दिया जाता है कि लाभार्थियों से उनके अंशदान तथा शौचालय को पूर्ण करने हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त निर्माण सामग्री इक्कठा कर लेने के उपरान्त ही शौचालय निर्माण प्रारम्भ कराया जाय तथा पूर्ण रूप से उपयोग के लायक निर्माण के उपरान्त ही इसे लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जाय, ताकि इसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

उपरी संरचना हेतु लाभुकों से अंशदान के रूप में सिर्फ सामग्री या उनका श्रम (जो सुविधाजनक हो) ली जाय। किसी भी हालत में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अंशदान के रूप में राशि की माँग लाभुकों से नहीं की जाय।

यदि लाभुक उपरी संरचना अधिक स्थायी (आर.सी.सी. छत/टीन चदरा/एसबेस्टस/खपड़ैल आदि) बनाने को इच्छुक हों, तो उन्हें प्रोत्साहित कर पूर्ण निर्माण करा लेने के बाद ही हस्तांतरित किया जाय।

इसके साथ ही शौचालय निर्माण के केवल संख्या पर ध्यान न देकर, इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

विश्वासभाजन

(एच. सी. सिरोही)
प्रधान सचिव–सह–अध्यक्ष
कार्यकारी समिति,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना।

ज्ञापांक: 331 पटना, दिनांक: 14-10-2009

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल–सह–अध्यक्ष, कोर ग्रुप को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एच. सी. सिरोही)

PH-BSWSM-104-09.doc